न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 01/2018

बउनवान

सरकार जर्ये शिवजीराम जाट प्रवर्तन निरीक्षक, बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री असलम पुत्र श्री निजामुद्दीन असलम कार पाईन्ट, झालावाड़ रोड़ पुलिया के पास बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक 20.04.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2018 को शहर में घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक उपयोग की शिकायत के क्रम में अवैध रिफलिंग की प्राप्त शिकायत पर प्रार्थी हमराह श्री हरलाल मीणा जिला रसद अधिकारी, बारां, श्री सुनील यादव, प्रवर्तन निरीक्षक छबड़ा, श्री सुरेन्द्र भारती, प्रवर्तन निरीक्षक, शाहाबाद, असलम कार पाईन्ट झालावाड़ रोड़ पुलिया के पास बारां पहुंचे। उक्त व्यावसायिक स्थल की मौके पर जांच में 6 घरेलू सिलेण्डर (14.2 के.जी.) एक इलेक्ट्रिक गैस रिफलिंग मशीन मय दो प्लास्टिक पाईप एवं रेग्युलेटर जो मशीन से जुड़े हुए व एक इलेक्ट्रिक वायर प्लग सहित मौके पर मिले जो श्री असलम से पूछताछ करने पर बताया कि छोटी कार वाले लोग उनके सिलेण्डर लाकर रिफलिंग करवाते हैं एवं जिनके पास स्वंय का सिलेण्डर नहीं होता है उनको गैस सिलेण्डर सहित लगभग 800 से 900 रूपयों में रिफलिंग की जाती है। गैस रिफलिंग की वैधता पूछने पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई दस्तावेज मौके पर उपलब्ध कराये।

अवैध रूप से घरेलू गैस का [illegible] उक्त सिलेण्डरों को जिनमें तोलने पर उपरोक्तानुसार भरी [illegible] सिलेण्डर, गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाले यन्त्र जिनमें एक इलेक्ट्रिक गैस रिफलिंग मशीन मय दो प्लास्टिक पाईप एवं रेग्युलेटर जो मशीन से जुड़े हुए व एक इलेक्ट्रिक वायर प्लग को जब्त सरकार कर रूबरू मोतबिरान श्री पोरवाल इण्डेन गैस बारां के प्रतिनिधि श्री प्रदीप पोरवाल पुत्र श्री प्रेमचंद पोरवाल निवासी बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगी नामा लिखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 12:23:27 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर 79.5 किग्रा. का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को मय 79.5 किग्रा. गैस एवं उपरोक्त वर्णित अवैध रिफलिंग की सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

दौराने बहस पेरोकार रसद विभाग ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः 79.5 किग्रा. भरी हुई गैस को मय उपरोक्त छह सिलेण्डर, गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाले यन्त्र जिनमें एक इलेक्ट्रिक गैस रिफलिंग मशीन मय दो प्लास्टिक पाईप एवं रेग्युलेटर जो मशीन से जुड़े हुए व एक इलेक्ट्रिक वायर प्लग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि अप्रार्थी का झालावाड़ रोड़ पर असलम कार पोइन्ट के नाम से कार, जीप, मोटरसाईकिल वगैरा की मरम्मत व सर्विस करने का वर्कशॉप है। अप्रार्थी उक्त वर्कशॉप में एल.पी.जी. गैस युक्त कार आदि की सर्विस करता है। कार की सर्विस के दौरान एल.पी.जी. गैसकिट की सर्विस करते समय ग्राहकों की कार में रखे सामानों को बाहर निकालकर धुलाई एवं वेल्डिंग आदि की जाती है। उक्त दिवस को अप्रार्थी के पास कई कारें सर्विस के लिये आई थी जिनमें ग्राहकों के गैस सिलेण्डर रखे हुये थे जिनको अप्रार्थी ने बाहर निकालकर रख दिया था। वक्त निरीक्षण प्रार्थी ने कार सर्विस करवाने आने वाले ग्राहकों के सिलेण्डर जप्त किये थे अप्रार्थी अपने वर्कशॉप पर गैस रिफलिंग का कोई कार्य नहीं करता है जिन वाहनों द्वारा गैस सिलेण्डर सप्लाई की जाती है वे भी अप्रार्थी के यहां सर्विस [illegible] हैं जिनमें 15–20 सिलेण्डर गैस के भरे हुए रहते हैं। जप्त सिलेण्डर अलग अ[illegible] ग्रा[illegible] के थे जिनकी गैस डायरी की फोटो प्रति भी पेश की। अप्रार्थी ने व[illegible] उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये थे परन्तु उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और अप्रार्थी के [illegible] यह झूंठा प्रकरण दर्ज किया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण ड्रोप फरमाकर जप्तशुदा सि[illegible]डर अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिलाये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज.)
न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 12:23:27 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया है कि जप्तशुदा सिलेण्डर अलग अलग ग्राहकों के थे जो सर्विस करवाने उसके वर्कशॉप पर अपने वाहन को लाये थे तथा वाहन की धुलाई इत्यादि हेतु वाहन का समान वर्कशॉप में रखा हुआ था परंतु वर्कशॉप में इलेक्ट्रिक गैस रिफलिंग मशीन मय दो प्लास्टिक पाईप एवं रेग्युलेटर जो मशीन से जुड़े हुए पाये जाने से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी वाहन में घरेलु गैस सिलेण्डर की गैस अवैध रूप से रिफलिंग करता था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि चूंकि जप्तशुदा इण्डेन गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 248200, (2) 201461, (3) 058048 (4) 406233 S, (5) 767099 S, (6) 364884 का उपयोग व्यवसायिक कार्य हेतु किया गया है। अतः अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि 6 गैस सिलेण्डरों की कुल 15000/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को वापस लौटाये जावे, यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एंव प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डरर्स को संचालक पोरवाल इण्डेन गैस एजेन्सी, बारां को कीमत पर दिया जावें तथा जप्तशुदा इलेक्ट्रिक गैस रिफलिंग मशीन मय दो प्लास्टिक पाईप एवं रेग्युलेटर जो मशीन से जुड़े हुए हैं, को खुली नीलामी में नीलाम करें और उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 12:23:27 IST
Reason: SelfAttested